

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

का०आ० संख्या-01/स्था०विविध-102/2023-

/पटना, दिनांक

जनवरी, 2024

कार्यालय आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना 19300 दिनांक-13.10.2023 में निहित अस्थायी कार्यकारी व्यवस्था के तहत निम्नांकित कार्यालय परिचारी को निम्नवर्गीय लिपिक (वेतन स्तर-2) में उसके विहित वेतनमान सहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी का प्रभार विभागीय पत्रांक-1448/सी.सी. दिनांक-05.12.2023 के द्वारा दिये जाने के फलस्वरूप उनके नाम के सामने स्तंभ -4 में अंकित कार्यालय में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है:-

क्रमांक	नाम/पदनाम	वर्तमान पदस्थापित कार्यालय का नाम	नव पदस्थापित कार्यालय का नाम	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री राजेश कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक	सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर (आरा)।	सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर (आरा)।	
2	श्री अनिल कुमार सिंह, निम्नवर्गीय लिपिक	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा।	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा।	
3	श्री वशिष्ठ शर्मा, निम्नवर्गीय लिपिक	सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी।	सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी।	
4	श्री नागेन्द्र प्रसाद, निम्नवर्गीय लिपिक	सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी।	सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी।	
5	श्री जगन्नाथ प्रसाद, निम्नवर्गीय लिपिक	सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर।	उप निदेशक, ईख विकास, पटना।	
6	श्री विकास भूषण चौधरी, निम्नवर्गीय लिपिक	ईख पदाधिकारी, पूर्णिया।	ईख पदाधिकारी, पूर्णिया।	
7	श्री मो० अबु तालिब, निम्नवर्गीय लिपिक	ईख पदाधिकारी, लहेरियासराय, दरभंगा।	ईख पदाधिकारी, लहेरियासराय, दरभंगा।	

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागु समझा जाय।

3. पूर्व में निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझा जाय।

ह०/-

(गिरिवर दयाल सिंह)
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या- 116/CC -

/पटना, दिनांक 25 जनवरी, 2024

प्रतिलिपि- सभी संबंधित कार्यालय/सभी संबंधित कोषागार/सभी संबंधित कर्मों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई०टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

11/1/24

(गिरिवर दयाल सिंह)
ईखायुक्त, बिहार।